न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 139 / 2022

1 रामफल पुत्र रामेश्वर उर्फ रामसिया
2 सहीराम पुत्र रामेश्वर उर्फ रामसिया
3 चादली पत्नी रामेश्वर उर्फ रामसिया
4 कमला पुत्री रामेश्वर उर्फ रामसिया
5 विमला पुत्री रामेश्वर उर्फ रामसिया
6 सन्तरा पुत्री रामेश्वर उर्फ रामसिया
7 सुनिता पत्नी जयराम
8 माया पुत्री जयराम
9 मोनिका पुत्री जयराम
10 राजबाला पुत्री जयराम
समस्त जाति गुर्जर निवासीगण धानोता तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा।

अपीलांटस

बनाम

1 दाताराम पुत्र भाताराम
2 भगवानाराम पुत्र भाताराम
3 हनुमान पुत्र भाताराम
4 होशियार सिंह पुत्र भाताराम
समस्त जाति गुर्जर निवासी रोजड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
5 शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
6 तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अ.धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 06.09.2022 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी मु.नं. 57/2022 बउनवानी दाताराम वगै. बनाम
रामफल वगै. बाबत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजकुमार सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुभाषचन्द्र, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 12/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 57/2022 में पारित निर्णय दिनांक 06.09.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टस ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 314, 105, 171, 789 वाके ग्राम रोजड़ा पटवार हल्का मान्दरी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह गलत फाईडिंग देना की उक्त रामेश्वर उर्फ रामसिया के विरासतन नामान्तकरण की कार्यवाही अभी लंबित है। रामेश्वर की खातेदार भूमि पर पक्षकारान के कब्जे काश्त की स्थिति स्पष्ट नहीं है, दर्ज करना विरूद्ध पत्रावली व खिलाफ कानून है। नामान्तकरण संख्या 833 दिनांक 01.06.2022 का

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर •

ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से यह जाहिर है कि उक्त नामान्तकरण अपीलान्ट के पिता रामेश्वर की मृत्यु उपरान्त हल्का पटवारी द्वारा दर्ज कर दिया गया था लेकिन तहसीलदार द्वारा स्वीकृत करने से पहले विचारण न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित कर दिया, जिस कारण यह नामान्तकरण लोक नहीं हो पाया और तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नहीं हो पाया। इस आशय का एक नोट जमाबन्दी संवत 2077 में पटवारी हल्का द्वारा अंकित है, जिस पर गौर नही ंकर विधि की गलत विवेचना करने के कारण विचारण न्यायालय का निर्णय काबिले खारिज है। राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर जाहिर होता है कि नामान्तकरण संख्या 184 दिनांक 20.10.1997 को तस्दीक किया गया था, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 17.07.1968 को खसरा नम्बर 44/1 मी. बारानी तृतीय में से 13 बीघा पुख्ता का अलॉटमेंट किया गया था। उक्त अलॉटमेंट भाताराम, रामेश्वर पिता चन्द्राराम जाति गुर्जर निवासी राजोड़ा के नाम से किया गया था और उक्त अलॉटमेंट चन्द्राराम के नाम से नहीं करके चन्द्राराम के पुत्रान भाताराम व रामेश्वर के नाम 1/2–1/2 किया गया था। जिसके उपर भू–अभिलेख निरीक्षक की टिप्पणी अंकित है कि अलॉटमेंट के अनुसार इन्द्राज सही है। जमाबन्दी संवत 2043 से 2056 तक खाता संख्या 132 में खसरा नम्बर 314 रकबा 2.25 हैक्टेयर में भाताराम व रामेश्वर पुत्र चन्द्राराम को गैर–खातेदार दर्ज किया गया है। जमाबन्दी 2053 से 2056 में भी भाताराम, रामेश्वर पुत्र चन्द्राराम को गैर–खातेदार दर्ज किया गया है, जो लगातार चला आ रहा है तथा प्रथम बार जमाबन्दी संवत 2057–2060 में भाताराम, रामेश्वर पिता चन्द्राराम कौम गुर्जर निवासी राजेड़ा को खातेदार घोषित किया गया है, जो अपीलान्ट के पिता को राजस्थान सरकार द्वारा विधिवत अलॉटमेंट किया जाकर पहले गैर–खातेदार और फिर कब्जा व काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये है, जिसमें अपीलान्ट के दादा चन्द्राराम का कोई हक व हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 314 अपीलान्ट के पिता की

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

स्व–अर्जित भूमि है। उक्त तथ्य पर गौर न करके विचारण न्यायालय ने गलत फाईडिंगब देकर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर खारिज कर दिया है, जो निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट के पिता गांव रोजड़ा से धानोता (हरियाणा) में गोद गया जो मात्र गांव रोजड़ा से 10 किलोमीटर दूर है। नामान्तकरण संख्या 301 दिनांक 16.07.1978 को भाताराम की मृत्यु के बाद भाताराम के वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज करवाया है। उक्त नामान्तकरण 1/2 भूमि का दर्ज हुआ है, उस समय वादीगण/रेस्पोडेन्टस को पता था कि 1/2 भूमि अपीलान्ट के दादा की है, जिसका कभी विरोध नहीं किया। अपीलान्ट के स्व. दादा ने अपने जीवनकाल में कभी भी भूमि खसरा नम्बर 105, 171, 789 जो जायन्दा पिता चन्द्राराम की भूमि रही है, में कभी भी कोई दावा नहीं किया है। भूमि खसरा नम्बर 314 रकबा 2.25 हैक्टेयर की 1/2 भूमि स्व. रामेश्वर की स्व–अर्जित भूमि रही है, उसी पर ही स्व. रामेश्वर ने काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर गौर ना कर विचारण न्यायालय ने भारी भुल की है और यान्त्रिक रूप से काम करके अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा गलत रूप से खारिज किया है, जिस कारण यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। निर्णय जैर बहस अवैध व शुन्य है। अपीलान्ट जमीन जैर बहस के खातेदार है और कानूनन खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। कब्जे के निर्धारण किए बिना ही अपीलान्टस को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना शुन्य व अवैध है। विचारण न्यायालय ने न्यायिक विवेक अपनाये बिना ही मनमर्जी से निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भुल की है और निर्णय खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय की पत्रावली में सलग्न जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता संख्या 78 व 77 में भूमि खसरा नम्बर 314, 105, 171, 789 में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का प्रत्येक का 1/8 एवं अप्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पक्षकारों के मध्य वाद का निस्तारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत होना शेष है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय से ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का निर्धारण कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2018 (2) पेज 1370, आरआरटी 2021(2) पेज 1464, आरआरटी पेज 2018(2) पेज 1140 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टस ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 314, 105, 171, 789 वाके ग्राम रोजड़ा पटवार हल्का मान्दरी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।

विचारण न्यायालय की पत्रावली में सलग्न जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता संख्या 78 व 77 में भूमि खसरा नम्बर 314, 105, 171, 789 में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का प्रत्येक का 1/8 एवं अप्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पक्षकारों के मध्य वाद का निस्तारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत होना शेष है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय से ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट के पिता रामेश्वर उर्फ रामसिया की मृत्यु हो चुकी है। रामेश्वर की राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। विधि अनुसार रामेश्वर की विरासत का नामान्तकरण दर्ज करने की हद तक विचारण न्यायालय को शिथिलता प्रदान की जानी चाहिए थी। रामेश्वर के वारिसान प्रकरण में रिकार्ड पर है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यहां यह भी विचारणीय है कि पक्षकारों के मध्य विवाद का निस्तारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जाना शेष है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से केवल अपीलान्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है। विधि अनुसार उभयपक्ष को पाबंद किया जाना न्यायसंगत है।

उपरोक्त विवेचनं के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं उभयपक्ष को ताफैसला वाद ग्राम रोजड़ा पटवार हल्का मांदरी तहसील खेतड़ी की भूमि खसरा नम्बर 314, 105, 171, 789 की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है। अपीलान्ट के पिता रामेश्वर उर्फ रामसिया की विरासत का नामान्तकरण भरने एवं राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने की हद तक यह स्थगन प्रभावी नहीं माना जायेगा। तदुपरांत उपरोक्त स्थगन से उभयपक्ष पाबंद रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 18/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

अनिल कुमार मीना II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)